उनको आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में, जो गरीब परिवार, विधवा महिलाएं हैं, वे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें पाँच लाख रुपये तक निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, जिससे वे उससे वंचित हो रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हर गरीब को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की थी, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इस योजना में आच्छादित किया गया था। इसमें यह भी निर्देश किया गया था कि जिन लोगों का नाम वर्ष 2011 की जनगणना में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के रूप में शामिल है, उन्हीं पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर जारी इस गाइडलाइन के चलते देश के करोड़ों परिवार योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए, एक बार फिर से नवीन आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 02 लागू की गई है। इस योजना को चलाने के लिए, अधिक-से-अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन उन लोगों को समस्या आ रही है, जिनके परिवार में छः से कम सदस्य हैं। अतः सदन के माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जनहित में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी पात्र परिवारों को दिया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Mithlesh Kumar: Shri Sanjeev Arora (Punjab), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Hon. Dr. Dinesh Sharma, 'Demand for conservation, propagation and restoration of Sanskrit language in the country.'

Demand for conservation, propagation and restoration of Sanskrit language in the country

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रचार-प्रसार, पुनर्स्थापन एवं अनिवार्य विषय बनाए जाने वाले विषय को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। संस्कृत भाषा की महत्ता और उसकी वर्तमान स्थिति पर विचार रखते हुए, मैं इस भाषा के पुनर्स्थापना की अति आवश्यकता पर बल देना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय स्त्रोत है। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, योगशोध, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, खगोलशास्त्र, गणशास्त्र आदि अनेक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं, जिनका अध्ययन आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सभी ग्रंथ हमारे पुरातन ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं और उनमें निहित ज्ञान आज

भी प्रासंगिक है। भारतवर्ष में आदिकाल से संस्कृत ही बोलचाल की भाषा रही है। तमाम भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है और यह संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की रीढ़ है। वर्तमान समय में कुछ प्रदेशों में संस्कृत की उपेक्षा बहुत ही चिंताजनक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी प्रभाव के कारण संस्कृत भाषा का अध्ययन दिन-प्रतिदिन प्रचलन से घटता जा रहा है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति एक आधारबिंदु बनकर, एक आशा की किरण लेकर हमारे सामने आई है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रति रूचि कम होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आज हमारी युवा पीढ़ी अपने प्राचीन ज्ञान से वंचित हो रही है। हमारी नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के उन्नयन का उल्लेख प्रसन्नता का विषय है। संस्कृत भाषा की उपेक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए मैं कुछ सुझाव आपको संप्रेक्षित करना चाहता हूं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए और शोध के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। देश भर में संस्कृत व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, जहां संस्कृत के साथ अन्य विषय भी पढ़ाए जाएं। इससे विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें इस भाषा का व्यापक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। संस्कृत साहित्य का डिजिटल रूप में अनुवाद और प्रसार किया जाए, ताकि यह आसानी से उपलब्ध हो सके। संस्कृत ग्रंथों के ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार भी आयोजित किए जाने चाहिए। संस्कृत में नाटकों, कविताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, ताकि लोगों में संस्कृत के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ सके। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय दिनेश जी, अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। इसमें तीन मिनट का ही समय है।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Dinesh Sharma: Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Sasmit Patra (Odisha), and Shri Naresh Bansal (Uttarakhand).

Now Shrimati Mausam Noor; concern over rising cases of suicides among students.

Concern over rising cases of suicides among students

SHRIMATI MAUSAM NOOR (West Bengal): Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise such an important issue. According to the latest data from NCRB, students account for 8 per cent of the total suicide victims equating to more than 13,000 lives lost in a year. This is a crisis that needs immediate attention and action. 35 per cent of all suicides are committed by those within the age group of 18